

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 02/2018-एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 20 सितम्बर, 2018

सा.का.नि.\_\_\_\_\_ (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर, जो अभिकर्ता नहीं है, जहाँ ऐसे प्रदायों के सम्बन्ध में प्रतिफल का संग्रहण उक्त ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा उसके माध्यम से किये गए अंतरराज्यिक कराधेय प्रदायों के शुद्ध मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर रकम संग्रहीत करेगा।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार